(63)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4881

1 जगभान सिंह पुत्र स्व. रावराजा
2 लखन सिंह पुत्र स्व. रावराजा
3 बृजभान सिंह पुत्र स्व. रावराजा
4 बब्बूराजा पुत्र स्व. रावराजा
5 नोने राजा पुत्र स्व. रावराजा
6 इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. रावराजा
7 जयहिन्द सिंह पुत्र स्व. रावराजा
8 कृष्ण पाल सिंह पुत्र स्व. रावराजा
9 राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रावराजा

निवासीगण–ग्राम नदनवारा तहसील खनियाधाना जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 05.12.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे० दि० 5/1/2018

05/12/17

विरूद्ध

1 लालू चौहान पुत्र स्व. करन सिंह
2 गजेन्द्र चौहान पुत्र स्व. करन सिंह
3 डग्गी चौहान पुत्र स्व. करन सिंह
4 चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
5 रजऊ पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
6 रनवीर सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
7 भरत सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह
8 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह
9 रामजू पुत्री श्री स्व. जगदीश सिंह
10 श्याम जू पुत्री स्व. जगदीश सिंह
11 भगवान जू पुत्री स्व. जगदीश सिंह
12 हनुमंत सिंह पुत्र धीरज सिंह
13 प्रान सिंह पुत्र धीरज सिंह

निवासीगण–ग्राम नदनवारा तहसील खनियाधाना जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/01–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.05.2003 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – [illegible]/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4881 जिला – शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17–1–18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार कियाएवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के दिनांक 23–5–2003 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 5.12.17 को लगभग 14 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है । दीर्घकालीन 14 वर्ष के विलंब का समुचित कारण आवेदक द्वारा नहीं बताया गया है जबकि विलंब के प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है । इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध संहिता के प्रावधानों के तहत अपील आयुक्त/अपर आयुक्त न्यायालय में किए जाने का प्रावधान है अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी किए जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>प्रशासकीय सदस्य, | |